अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017

सं0 03/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 153(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 24घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"24ङ	2606 00 90	अन्य एलुमुनियम अयस्क, जिसके अंतर्गत लैटेराइट भी है	15%
24च	2606 00 90	क्रम सं. 24ङ पर उल्लिखित माल से भिन्न, सभी माल	कुछ नहीं"।

[फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.153(अ) तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 43/2016-सीमाशुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 740(अ) तारीख 26 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।